



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08112025-267499
CG-DL-W-08112025-267499

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, नवम्बर 2—नवम्बर 8, 2025, शनिवार/कार्तिक 11—कार्तिक 17, 1947
No. 18] NEW DELHI, NOVEMBER 2—NOVEMBER 8, 2025, SATURDAY/KARTIKA 11—KARTIKA 17, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.नि.आ. 38.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –

(क) इन नियमों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948, अनुसूची III में, पैराग्राफ 2 में, स्वच्छ उप-पैराग्राफ (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“(ख) कनिष्ठ डिवीजन अधिकारी:-

- प्रथम बार कमीशन प्राप्त करने पर – द्वितीय अधिकारी
- कमीशन प्राप्त सेवा के 8 वर्ष पूरे होने पर – प्रथम अधिकारी
- कमीशन प्राप्त सेवा के 15 वर्ष पूरे होने पर – प्रमुख अधिकारी”

[फा. सं. 4/24/22-डी(जीएस-VI)]

सुनीत कुमार द्विवेदी, अवर सचिव

टिप्पणी—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग I, खंड 3 में एस.आर.ओ. 289 दिनांक 19 फरवरी, 1949 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार पत्र सं. 0162/Policy/NCC HQ/MS (D)/59/D(GS-VI) दिनांक 12 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

S.R.O. 38.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the National Cadet Corps Rule, 1948, namely :-

1. Short title and commencement :-

- (i) These Rules may be called the National Cadet Corps (Amendment) Rules, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Cadet Corps Rules (b), 1948, in the schedule III, in paragraph 2, fair sub-paragraph (b), the following sub paragraph shall be substituted, namely:-

(b) Junior Division Officers

On being first commissioned	-	Second Officer
After 8 years of commissioned service	-	First officer
After 15 years of commissioned Service	-	Chief Officer

[F. No. 4/24/2022-D(GS-VI)]

SUNEET KUMAR DWIVEDI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part 1, Section 3, vide S.R.O 289 dated the 19th February 1949 and last amended Vide letter No. 0162/Policy/NCC HQ/MS (D)/59/D (GSVI) dt 12th January 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर (गर्ल्स डिवीजन) नियम, 1949 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –

- (क) इन नियमों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (गर्ल्स डिवीजन) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।
- (ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर (गर्ल्स डिवीजन) नियम, 1949, अनुसूची III में, पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

“(ख) कनिष्ठ विंग अधिकारी:-

- प्रथम बार कमीशन प्राप्त करने पर – द्वितीय अधिकारी
- कमीशन प्राप्त सेवा के 8 वर्ष पूरे होने पर – प्रथम अधिकारी
- कमीशन प्राप्त सेवा के 15 वर्ष पूरे होने पर – प्रमुख अधिकारी

[फा. सं. 4/24/22-डी(जीएस-VI)]

सुनीत कुमार द्विवेदी, अवर सचिव

टिप्पणी – मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग I, खंड 3 में एस.आर.ओ. 451 दिनांक 18 मार्च, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार पत्र सं. 0162/Policy/NCC HQ/MS (D)/59/D(GS-VI) दिनांक 12 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

S.R.O. 39.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the National Cadet Corps (Girls Division) Rule 1949 namely:-

1. Short title and commencement:-

- (i) These Rules may be called the National Cadet Corps (Girls Division) Amendment Rules 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Cadet Corps (Girls Division) Rules 1949, in the schedule III, for paragraph (b), the following paragraph shall be substituted, namely:-

(b) Junior Wing Officers:-

On being first commissioned	-	Second Officer
After 8 years of commissioned service	-	First officer
After 15 years of commissioned Service	-	Chief Officer

[F. No. 4/24/2022-D(GS-VI)]

SUNEET KUMAR DWIVEDI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part 1 Section 3, vide S.R.O 451 dated the 18th March, 1950 and last amended Vide letter No. 0162/Policy/NCC HQ/MS (D)/59/D(GSVI) dt 12th January 2004.